मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2018-20 /R.N.I. No. 66400/97

नाकाम योजना आयुष्मान भारत के फायदे गिना डाले 3
लूट की छूट देने के लिए अब हाईकोर्ट भी आगे 4
कोचिंग संस्थानों की लूट को ऐसे समझें 5
यह पुलिस क्यों सुधर नहीं पा रही 6
श्रीराम अस्पताल की कहानी में नया मोड़ 8

वर्ष 34 | अंक 22 | फरीदाबाद | 11-17 अप्रैल 2021 | फोन-8851091460 | 3.00 ₹

57 लाख रिश्वत केस : एसएचओ व हवलदार की जमानत, सीपी ने मुकदमे की परमिशन नहीं दी थी

मजदूर मोर्चा ब्यूरो गुड़गांव

28 दिसम्बर 2020 को विजिलेंस फरीदाबाद ने गुड़गांव के शिकोपुर मोड़ से हवलदार अमित को पांच लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसकी भनक लगते ही थाना खेड़कीदौला का एसएचओ विशाल जो 57 लाख पहले ही डकार चुका था, फरार हो गया। पूरी पेशबंदी करके दो सप्ताह बाद उसने समर्पण किया था। दिनांक 6 अप्रैल को गुड़गांव के अतिरिक्त सैशन जज अश्विनी कुमार ने एसएचओ की जमानत मंजूर करने के बाद 8 अप्रैल को हवलदार अमित को भी जमानत दे दी। तीसरे पुलिसकर्मी जसवीर को 12 अप्रैल को जमानत मिलने की प्रबल संभावना है। जज द्वारा लिखे विशाल के जमानती आदेश की खास बात यह है कि उन्होंने 90 दिन में मुकम्मल चालान तैयार न करने को आधार बताया है।

विदित है कि 90 दिन की अवधि 12 अप्रैल को पूरी होती है, जबकि विजिलेंस ने पिछले महीने ही चालान कोर्ट में दे दिया था। लेकिन इस चालान को जज ने आधा अधूरा माना, क्योंकि मुकदमे की परमिशन नहीं मिली थी। विजिलेंस सूत्रों का कहना है कि 90 दिन की अवधि केवल चालान पेश करने के लिये होती है, परमिशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसे अनेकों केस हैं जिनमें परमिशन कई महीनों व साल बाद भी मिलती रही है।

गृहमंत्री विज : मुम्बई से मुकाबला

इंसपेक्टर विशाल : उगाही मास्टर

कमिश्नर राव : कमाऊ पूत कल्चर ?

वैसे परमिशन का यह खेल भी बड़ा गजब का है। इसका इस्तेमाल सरकार अपने रिश्वतखोर अफसरों को बचाने के लिए कवच की तरह करती है। इस मामले में तो यह परमिशन खुद सीपी (पुलिस आयुक्त) केके राव ने ही देनी थी, जो उन्होंने जमानत होने के बाद दे भी दी।

जज ने विशाल से 57 लाख की बरामदगी न हो पाने का उल्लेख भी अपने आदेश में किया है। इसके द्वारा शायद वे आरोपी को संदेह का लाभ देना चाहते हैं। लेकिन अमित के मामले में तो पांच लाख की बरामदगी हो चुकी थी, फिर उसकी जमानत किस आधार पर हुई ? इस तरह के अनेकों बिंदु हैं जिन्हें लेकर जज के प्रति तरह-तरह की शंकाओं का उठना स्वाभाविक है। वैसे भी लोकल पुलिस के साथ सहयोग बना कर चलने की परम्परा कोई नई तो नहीं है।

गजब केस की गजब कहानी

ऐसा गजब केस जिसमें न तो शिकायतकर्ता इस थाने का है और न ही आरोपी। दरअसल, इसमें दोनों ही नदारद हैं। उक्त थाना क्षेत्र में न तो कोई वारदात हुई और न ही कोई काला-पीला धंधा हुआ। वास्तव में काला-पीला धंधा तो कहीं भी नहीं हुआ, उसके बावजूद गृहमंत्री विज की पुलिस ने पूरे एक करोड़ की फिरौती मांग ली, जिसमें से 62 लाख तो वसूल भी कर लिये। 62 लाख रुपए जिस नवीन से पुलिस ने लूटे हैं वे दिल्ली के ओम विहार (उत्तम नगर) में अपना नग, पत्थर व मोती आदि का कारोबार करते हैं। इनका लगभग सारा कारोबार ब्रिटेन व आस्ट्रेलिया जैसे देशों से चलता था। सारा धंधा लैपटॉप के जरिए चलता था जिसके लिये उन्होंने बाकायदा ओम विहार में अपना कॉल सेंटर खोल रखा था। इनकी विदेशों से जो पेमेन्ट आती थी, उसका माध्यम होता था 'गेट वे' लिंक। नवीन के पास फिलहाल अपना लिंक नहीं था। इसके लिए उन्होंने अपने अंजय बंसल नामक एक ज्योतिषी मित्र के माध्यम से करनाल स्थित किराये पर एक अस्पताल चलाने वाले गुरमीत से सम्पर्क किया। उसका यह अस्पताल आरपीआईआईटी नामक एक संस्थान का था जो स्कूल आदि भी चलाता था। इनके पास वह लिंक यानी गेटवे मौजूद था।

नवीन ने अजय बंसल व गुरमीत पर भरोसा करके अपनी मोटी-मोटी पेमेन्टस विदेशों से उस लिंक पर मंगवानी शुरू कर दी। भारी-भरकम पेमेंट्स देखकर गुरमीत बेईमान हो गया। उसने पेमेन्ट देने से मना कर दिया। आपसी झगड़ा बढ़ने लगा तो बातचीत द्वारा समझौता करने की बात आई। अंजय बंसल बिचौलिया बना। बातचीत के लिये गुड़गांव के क्षेत्र में कहीं बैठना तय हुआ। इसके लिये खेड़कीदौला थाना क्षेत्र में स्थित 'अपनो घर' नामक एक रिजोर्ट तय हुआ। उधर गुरमीत थाने के एसएचओ विशाल से पहले ही सेटिंग कर चुका था। लिहाजा 29 अक्टूबर को ज्यों ही उक्त रिजॉर्ट में पहुंचे तो एसएचओ ने नवीन, उसके मैनेजर व ड्राइवर को उठा लिया। थाने में लाकर खूब मारा-पीटा। उसके लैपटॉप में करोड़ों की डीलिंग देखकर सीधे एक करोड़ मांग लिये। लैपटॉप व अन्य सामान छीन लिया।

मजबूरन नवीन ने एक करोड़ मंगा कर देना मान लिया। इसके बाद एसएचओ ने नवीन व उसके दोनों साथियों को गुरमीत की फोर्चूयनर कार में डाल कर पाटौदी के एक फार्म हाउस पर डम्प कर दिया। रखवाली के लिये हवलदार अमित, सिपाही जसवीर, एक अन्य सिपाही व अपना एक रिश्तेदार साथ भेज दिया। रकम का इन्तजाम करने के लिये नवीन को अपना मोबाइल इस्तेमाल करने की छूट दी गयी जिसको वह अमित आदि की निगरानी में ही इस्तेमाल कर सकता था।

पूरे पुलिसिया दबाव के चलते नवीन ने उक्त रकम जुटाने का भरसक प्रयास किया। कहीं से भी जब पूरी रकम बनती दिखाई नहीं दी तो नवीन ने अपने शरीर पर पहने सोने के गहने तक एसएचओ के हवाले करते हुए कहा कि इन्हें बेच लो बाकी रकम जो बन पड़ेगी वह मंगवा रहा है। 30 तारीख की शाम तक नवीन का आदमी 57 लाख रुपये लेकर आ गया। इस वसूली के बाद अमित ने नवीन व उसके साथियों को छोड़ दिया लेकिन लैपटॉप, चेकबुक व उनकी बीएमडब्लू कार के काग़जात आदि जमानत के तौर पर रख लिये ताकि बाकी रकम आ सके।

जैसे-तैसे छुट कर नवीन अपने घर पहुंचा तो अगले ही दिन उसके घर दो जुड़वां बच्चों ने जन्म लिया; इनकी हालत कोई बहुत अच्छी न थी, लिहाज़ा नवीन उनके इलाज व देख-भाल आदि में इतना व्यस्त हो गया कि तीन-चार सप्ताह तक वह अमित हवलदार से सम्पर्क नहीं कर सका। सम्पर्क करने पर अमित ने सारा सामान लौटाने के बदले 10 लाख मांगे। अब तक पूरी तरह दुखी हो चुके नवीन का सब्र जवाब दे चुका था। उसने हरियाणा विजिलेंस के डायरेक्टर पी के अग्रावल से सम्पर्क किया।

सारी कहानी सुनकर डायरेक्टर ने गुड़गावां की बजाय फ़रीदाबाद यूनिट को रेड करने का आदेश दिया। 28 दिसम्बर को योजनाबद्ध तरीके से नवीन द्वारा गुड़गावां के शिकोपुर मोड़ पर, अमित द्वारा बताये स्थान पर पांच लाख रुपये दे दिये। रुपये देते वक्त नवीन ने अमित से कहा कि भाई गिन ले। कल को तुम कहोगे कि कम है क्योंकि पहले दिये गये 57 लाख के बारे में तुमने कहा था कि हर गड्डी में नोट कम है। बेखौफ़ अमित नोट गिनने लग गया, ताक में पहले से ही तैयार छापा टीम ने उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) की मौजूदगी में दबोच लिया। अमित ने वहां कुछ जोड़ अजमाइश करने की भी कोशिश की क्योंकि वहां उसे अपने स्थानीय ग्रामीण लोगों का समर्थन प्राप्त था। इसलिये छापामार टीम उसे तुरन्त गुड़गावां स्थित बिजिलेंस मुख्यालय में ले आई।

विजिलेंस टीम ने रेड करने से पहले नवीन द्वारा की गई वह सारी रेकॉर्डिंग सुनी जो उसने एसएचओ व हवलदार से हुई बात-चीत अपने मोबाइल में टेप कर ली थी। दूसरी ओर जब छापा टीम ने हवलदार अमित को दबोचा तो उससे तीन मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिये थे। इनमें एसएचओ विशाल व अमित के बीच हुई करीब 50 वाट्सप्प कॉल का रिकॉर्ड मौजूद था जिनका स्क्रीन सॉट ले लिया गया। इन रेकॉर्डिंग में लेन-देन का पूरा विवरण मौजूद है।

57 लाख की बरामदगी क्यों नहीं हुई ?

सर्वविदित है कि चोरी, डकैती, लूट का माल व वारदात में इस्तेमाल हुए

शेष पेज दो पर

...और विपुल गोयल का फार्म हाउस टूटने से बच गया

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट 17 मई को करेगा मामले की सुनवाई

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद: नगर निगम (एमसीएफ) जब भी अरावली और सूरजकुंड रोड पर बने फ़ार्म हाउसों को तोड़ने की कोशिश में जुटता है तो कोई न कोई 'शक्ति' फार्म हाउसों को तोड़ने से रोक देती है। अब यही मामला देखिए। हरियाणा के पूर्व मंत्री और शहर के लोकप्रिय नेताओं में शुमार विपुल गोयल का फार्म हाउस फ़िलहाल टूटने से बच गया। विपुल गोयल इस समय असम में हैं और वहाँ केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दायें या बायें हाथ बन गए हैं। शहर में उनके दुश्मनों ने उनके फार्म हाउस पर बुलडोज़र चलवाने की साजिश कर दी। लेकिन अचानक बुलडोज़र के जाते हुए पहिए रुक गए। एमसीएफ के अटॉर्नी ने फ़ौरन आला अफ़सरों को सूचित किया कि ख़बरदार अगर उधर गए, क्योंकि अदालत का स्टे है। आप लोग उनका फार्म हाउस तोड़ने की जुर्रत न करें। हाई कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 17 मई 2021 को करेगा।

इसी दौरान गुरुवार को हरियाणा सरकार ने एमसीएफ के कमिश्नर यशपाल यादव को पहले से तय एक महीने की ट्रेनिंग पर जाने का निर्देश दिया और उनकी जगह हुडा प्रशासक कृष्ण कुमार को चार्ज मिल गया। यशपाल यादव के लौटने पर उन्हें

फिर से एमसीएफ कमिश्नर का चार्ज मिलेगा या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है।

पूर्व मंत्री विपुल गोयल आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक हैं और प्रॉपर्टी बिज़नेस की लाइन में थे। लेकिन भाजपा में आने और चुनाव लड़ने का लालच उन्हें कृष्णपाल गूजर ने दिया। दरअसल, कृष्णपाल गूजर उनके सहारे अपने प्रॉपर्टी बिज़नेस को बढ़ाना चाहते थे। विधायक बनने के बाद विपुल सीएम खट्टर के खासमखास बन गए और कृष्णपाल गूजर को चुभने लगे। गूजर ने अगले ही विधानसभा चुनाव में विपुल का टिकट कटवा दिया। हालाँकि पार्टी में विपुल का महत्व कम नहीं हुआ। इसी वजह से विपुल को असम भेजा गया और अब कई केन्द्रीय मंत्री विपुल के काम करने के ढंग से उनके मुरीद बन गए हैं, जिनमें स्मृति ईरानी प्रमुख हैं।

विपुल की तेज गति फ़रीदाबाद के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आ रही। यही वजह है कि एमसीएफ पर अदृश्य शक्तियों ने दबाव बनाकर विपुल गोयल के फार्म हाउस को विवाद में घसीटा। प्रॉपर्टी बिज़नेस से जुड़े लोगों का कहना है कि विपुल गोयल की साख प्रॉपर्टी बिज़नेस में मंत्री बनने से भी पहले से ज़्यादा है। फ़रीदाबाद में जहां कई नेता प्रॉपर्टी के धंधे में बदनाम हैं, वहाँ विपुल की छवि साफ़ सुथरी बनी हुई है। जिस फार्म हाउस का विवाद खड़ा किया गया, एमसीएफ के प्लानिंग विभाग के सूत्रों का कहना है कि वो ज़बरन खड़ा किया गया है। हालाँकि सूरजकुंड रोड और अरावली ज़ोन में तमाम पुलिस वालों, जजों, आईएएस-आईपीएस अफ़सरों, केंद्रीय मंत्री के फार्म हाउस वन विभाग की ज़मीन पर हैं। लेकिन एमसीएफ समेत तमाम एजेंसियाँ उन फार्म हाउसों पर कार्रवाई से बच रही हैं।

विपुल के मामले में अगर एमसीएफ के अटॉर्नी ने आला अफ़सरों को लिखित में सावधान न किया होता तो विपुल के फार्म हाउस पर पीला पंजा चल चुका होता।